राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	768/2025 रामू बनाम बोदुराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 02/04/2026 को पेश हो |	
02/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश दिनांक 03/05/2024 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/05/2025 पारित करते हुये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने उज्र प्रकट करने का अवसर उपलब्ध है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/05/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये शीघ्रता से दोनों पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करें | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 02/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	